न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां कैम्प भोपतपुरा बईजलारा श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्या:—76 / 2011

दायर तारीख 11.11.2011

हरलाल पिता कल्याण जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बांका तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

..............वादी

1. भोजा पिता सावंता जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बांका तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
2. मोजा पिता सावंता जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बांका तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित:—

ओम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता वादी
सुनिल कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णय:—

दिनांक 15.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बांका प0ह0 भोपतपुरा तह0 बिजौलियां की सरहद में वादी की खातेदारी कब्जेसुदा आराजियात आ0नं0 882 / 36 रकबा 2 बीघा 05 बिसवा किता 1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात पर वादी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी कब्जेसुदा आराजीयात पर अप्रैल 2011 में जबरन अनाधिकृत प्रवेश करना प्रारम्भ कर शनैः शनैः आराजी0 पर अपने भुजबल व पारिवक बक के आधार पर कब्जा कर लिया। वादी द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवालो हमारा कबजा नाजायज निकला तो हम कब्जा छोड देंगे। इस प्रकार दिनांक 04.07.2011 को वादी ने अपनी वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाई गई श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक / भूअ / 11 / 21 दिनांक 31.05.2001 की पालना में गये पटवारी पत्थरगढी किया तो पाया की वादी की वादपत्र की कलम नं0 1 में अभिलिखित आराजीयात में 0.03 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर रखा है। जबकि वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही होकर प्रतिवादी केवल अतिक्रमी है। दिनांक 15.07.2011 को वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाये जाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कब्जा छोडने से इंकार हो गये व लडाई झगडा करने लग गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को झुठे मुकदमें फसाने की धमकी दी इसलिये मजबूरन वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह बेदखली का वाद पेश करना पड रहा है। प्रतिवादीगण ने बिना किसी हक अधिकार के वादपत्र के कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में से 1 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल किया जाकर कब्जा पुनः वादी को

उपखण्ड अधिकारी

रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से 0–06 बिस्वा कब्जेसुदा आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द कराया जावे। वादपत्र पेश करने से कब्जा दिलाये जाने तक लगान का 50 गुणा मुआवजा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य अनुतोष जो वाद के तथ्यों एंव विधी के अनुरुप वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। खर्चा वादपत्र एव मेहनताना वकील वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुनील जोशी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में अंकित किया कि विवादित भूमि पर वादी का किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नही है। वादी के खाते में उक्त भूमि गलत रुप से दर्ज की गई है। विवादीत भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादीगण ने हजारों रुपयों की आर्थिक लागत लगा कर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाई है। प्रतिवादीगण का विगत 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिकूल कब्जे के अनुसार प्रतिवादीगण स्वतः खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। लाखों रुपये लगाकर बंजड़ भूमि को उन्नत व आबाद किया है। वादी जबरन पाश्विक बल के आधार पर उक्त भूमि हड़पना चाहता है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि के स्वतः खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि प्रतिवादीगण का लम्बे समय से कब्जा काश्त होकर वर्तमान में गेहूँ की फसल काश्त कर रखी है। वादी प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी को किसी प्रकार का वाद हेतु पेदा नही हुआ है और न ही कब्जा छोड़ो बाबत कोई निवेदन किया गया है। अतः वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस, पत्थरगढ़ी की प्रति प्रस्तुत की है।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि ग्राम बांका में वादी के खाते व कब्जे काश्त में आ0नं0 882/36 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 6 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर रखा है। ....जिम्मेवादी
2. आया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के 50 वर्षो से कब्जे काश्त में है। ....जिम्मेप्रतिवादीगण
3. आया कि वादी का हक अधिकार नही है। ....जिम्मेप्रतिवादीगण
4. आया कि प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा काश्त रहा है। ....जिम्मेप्रतिवादीगण
5. आया कि प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर 50 वर्षो से कब्जा काश्त होने से वादीगण का कोई हक अधिकार नही है। ....जिम्मेप्रतिवादीगण

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू. 1 हरलाल पिता कल्याण गुर्जर निवासी बांका तहसील बिजौलिया के बयान करवाये गए।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया (भी...)

ईएक्स पी–1 है, नक्शा ट्रेस पेश की है जो ईएक्स पी–3 है। इस भूमि के 6 बिस्वा पर ए–बी मेरे हस्ताक्षर है पेश की है जो ईएक्स पी–3 है। इस भूमि के 6 बिस्वा पर भोजा व मोडा का कब्जा है। आज भी कब्जा इनका ही है। मुझे 6 बिस्वा भूमि दिलायी जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों को प्रदर्श करवाने पर अधिवक्ता प्रतिवादी ने आपत्ति जाहिर की कि फर्म मूल दस्तावेज बिना न्यायालय की अनुमती के पेश किये गये जिस पर आपत्ति है। जिरह में लिखवाया कि इस जमीन पर 5 खातेदार है इस जमीन के नं0 याद नही है नक्शा ट्रेस में खाली स्थान पर मेरी जीन है, जिसके नं0 याद नही है। प्रतिवादी की भूमि कहा है याद नही है। यह भूमि शामलाती है। यह कहना सही है कि जमीन में वर्णित समस्त काश्तकार ने दादा नही किया है। इन काश्तकारों से सभी जिन्दा है। यह जमीन मेरे पिताजी के कल्याण जी के नाम पर आवंटन हुई है। यह कहना गलत है कि सावंता जी व कल्याण जी भाई है 50 वर्षो से अधिक समय से कल्याण जी काश्त करते आ रहे है। कल्याण व जालम दोनो भाई है। जालम व कल्याण को पारिवारिक बटवाडे के हिसाब से फसल काश्त कर रहे है। कल्याण जी ने दावा नही किया क्योकि उनको याद नही था। डोल डालने की कहा था कल्याण जी नाप कर दिवार करने की बात की थी। कोट देने की बात 30 साल पहले की थी। इससे पहले विवाद हो तो पता नही है। आज के 30 साल पहले कहा था कि यहा पर कोट मत दे नया ले। भोजा व मोडा के बाप दादाओं ने यहा पर काश्त की है याद नही है। भोजा की आयू का ध्यान नही है। मैं अनपढ हु। ईएक्स पी-3 में क्या लिखा मुझे पता नही है। पत्थरगढी करवाई जो मेरे करवाई है। पत्थरगढी के समय भोजा व मोडा उपस्थित थे किन्तु हस्ताक्षर नही किये। हस्ताक्षर हो तो पता नही है। मेरे हस्ताक्षर ए–बी है। यह पत्थरगढी 5 बीघा पर हुई। 5 बीघा 5 बिस्वा पर पत्थरगढी हुई है। मेर जमीन 2 बीघा ही है। यह सही है कि मेरी जमीन पर पत्थरगढी में रास्ता निकल रहा है। रास्ते में फसल काश्त नही होती है। मैने रास्ता का दावा नही किया है। रास्ता नही है शेर में आते जाते है। 30 साल से शेर से निकलते है। उनके खेत भी शेर के पास है जो निकलते है यह मुझे ध्यान नही है कि आज से पहले बयान कोर्ट में दिये गये हो। यह कहना सही है कि बयान मेरे पहले इसलिये रोक दिये गये थे कि मैने नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश नही किये थे। मुझे पता नही कि इस रास्ते से कितने खातेदार निकल रहे है। मुझे मेरे खेत की दिशा याद नही है। मुझे मेरे पडोसी याद नही है। दाखी मेरी माता है जिसकी आयू 65 वर्ष से अधिक है। मैने इन दोनो के दावो में हस्ताक्षर नही करवाये है।

वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बंद की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में डब्ल्यू 1 भोजा पिता सावंता गुर्जर निवासी बांका तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि मेरे ग्राम बांका में 35 बीघा के लगभग जमीन है। यह भूमि मेरे नाम व मेरे भाई के तथा पिताजी को आवंटन हुई थी। हरला की जमीन है जो नीचे कोने में स्थित है। हमारी जमीन पर हरला ने मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। मेरी जमीन पर 40 साल से कब्जा काश्त करता आ रहा है। इस जमीन पर हरला का कोई हक अधिकार नही है। वर्तमान समय में मैंने गेहूं की फसल काश्त कर रखी है। हरला ने पत्थरगढी करवाई तब मैं मौके पर नही था। ईएक्स पी–3 पर मेरा अंगुठा निशानी नही है। मौके पर हरताल की 2–05 बीघा भूमि पर बीच में रास्ता निकल रहा है जिस पर पुरे गाव के लोग निकलते है। मेरे खिलाफ जो दावा किया है वो गलत है। जिरह में लिखाया कि मैने मेरी व मेरे भाई व पिताजी की खाते की नकल पेश नही की, मैने मेरी 35 बीघा की कब्जे की पत्रादी पेश नही की है। हरला के खाते में 1–05 बीघा भूमि है जो मेरी जमीन के पास है जिसके बीच में रास्ता निकल रहा है। हरला की जमीन 3 बिस्वा पर मेरा कब्जा। हरला ने मेरे सामने पत्थरगढी नही करवाई।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाड़ा)

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-2 गोडा पिता सावंता गुर्जर निवासी बांका तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये।

बयान में लिखाया कि मेरे 35 बीघा जमीन बांका ग्राम में है जिस पर वर्ष से काश्त करते आ रहे है इस जमीन पर हरला का कोई हक हिस्सा नही है। हमारी जमीन पर हरला ने पक्का मकान बना रखा है। पत्थरगढी मौका पर्चा में मेरा अंगुठा निशानी नहीं है। हरला की जमीन के रास्ते से निकल रहा है। जिस पर पुरा गांव निकल रहा है जो आम रास्ता है। हरला ने दावा मेरे खिलाफ सच्चा किया है। मेने हरला की जमीन पर कोई कब्जा नही कर रखा है जो कब्जा है वो हमारी खुद की जमीन पर है। हरला ने दावा हमारी जमीन के लिये किया है। वह झुठा है। इस जमीन को जन्नत आबाद हमने किया और कोट भी की है। हमने लाखें रुपये लगाकर आबाद किया है। वर्तमान मे गेहूं की फसल काश्त की है। जिरह में प्रतिवादी ने लिखाया कि हमारे खाते में 35 बीघा जमीन है। जिसकी नकल जमाबंदी पेश नही की है। कब्जा के संबंधी कागज पेश नही किया। हरलाल के कितनी बीघा जमीन है जानकारी में नही है। हरलाल की जमीन हमारे पास में शेर की दुसरी तरफ है। हरलाल की जमीन की पत्थरगढी करवाई जानकारी में नही है। पत्थरगढी में हमारा 6 बिस्वा पर कब्जा हो जानकारी में नही है। हरलाल की जमीन पर हमारा कब्जा हो तो गलत है।

प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

प्रतिवादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया। तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है।

तनकी न0 1 –

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। वादी ने इस तनकी के समर्थन में स्वयं के खाते की नकल जमाबंदी ग्राम बांका सम्वत् 2068 से 2071 पेश की है। जो EXP-1 है। वादी के खाते की 6 बिस्वा भूमि पर कब्जा होने के संबंध मे पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 04.07.2011 EXP-3 प्रस्तुत किया है। जिसमें कब्जा प्रतिवादी का होना अंकित किया है। प्रतिवादीगण मौजा स्वयं ने अपने बयान में कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः यह तनकीवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 2 5 6:-

इन तनकीयात को सिद्ध करवाने का दायित्व प्रतिवादी का है। तीनो तनकीयात समान प्रकृती के होने से विवेचन एक साथ किया जा रहा है। प्रतिवादी ने अपना कब्जा 50 वर्षो से होना जवाब में अंकित किया है। इस संबंध में अन्य कोई लिखित दस्तावेज जिन्स खसरा गिरदावरी, शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नही किये है। इस संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह को भी साक्ष्य में प्रस्तुत नही किया गया है। हरला द्वारा मकान बनाना भोजा गुर्जर डी डब्ल्यू 1 ने स्वीकार किया है। जब मकान बना रखा है तो प्रतिवादी गेहुं की फसल कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रतिवादीगण ने वादी का कब्जा होना बयान में स्वीकार भी किया है तथा दावा झुठा होना अंकित किया है। विरोधाभास है अतः [illegible]

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर ग्राम बांका पटवार हल्का गोपतपुरा की आराजी नं0 882/36 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से 0–06 बिस्वा भूमि से भोजा, मोडा पिता सावंता गुर्जर निवासी बांका का कब्जा हटवाया जाकर भूमि जमाबंदी अनुसार वादीगण को सिपूर्द किया जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री गुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम कैम्प कोर्ट गोपतपुरा पर सुनाया गया।

15/06/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(कैम्प गोपतपुरा)